न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2021

प्रार्थीगण

1. वीराराम पुत्र रगाराम
2. बालूराम पुत्र वीराराम जातियान कलबी निवासीयान कोट की ढाणी तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. किशोरसिंह पुत्र तगसिंह
2. जबरसिंह पुत्र तगसिंह
3. तुलसी पत्नि तगसिंह
4. हड़मतसिंह पुत्र तगसिंह
5. विशनसिंह पुत्र तगसिंह जातियान रजपूत निवासीयान जालेरा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर
6. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री जबराराम पुरोहित।
3. अप्रार्थी संख्या 6 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 22.09.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा प्रार्थी संख्या 1 वीराराम की खातेदारी आराजी मौजा जालेराखुंर्द तहसील रानीवाडा में खसरा नबंर 1308 रकबा 1.27हैक्टर, खसरा नबंर 1309 रकबा 1.11हैक्टर जुमले रकबा 2.38हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा उक्त आराजी के पास ही प्रार्थी संख्या 1 के पुत्र प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1307 रकबा 3.30हैक्टर की आई हुई है, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। उक्त प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम की आराजी एक ही चक में स्थित है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 की उपरोक्त आराजीयान खसरा नबंर 1307,1308,1309 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1315 रकबा 1.62हैक्टर व खसरा नबंर 1387/1315 रकबा 0.80 हैक्टर जुमले रकबा 2.42 हैक्टर आई हुई है, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1312 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नबंर 1313 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1314 रकबा 0.6 हैक्टर, खसरा नबंर 1388/1315 रकबा 0.02 हैक्टर जुमले रकबा 0.14 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1308 रकबा 1.27 हैक्टर, खसरा नबंर 1309 रकबा 1.11 हैक्टर व प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1307 रकबा 3.30 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 1315 रकबा 1.62 हैक्टर व खसरा नबंर 1387/1315 रकबा 0.80 हैक्टर जुमले रकबा 2.42 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 1312 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नबंर 1313 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1314 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नबंर 1388/1315 रकबा 0.02 हैक्टर जूमले रकबा 0.14 हेक्टेयर के बीच की सीमा को लेकर विवाद है। अप्रार्थी सख्या 1 से 5 उक्त सीमा विवाद को कायम रखना चाहते है। इस विवाद के चलते प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की आराजी के माठ के विवाद को खत्म करने के लिये अपनी आराजी की पैमाईश हेतु तहसीलदारजी रानीवाडा को प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदारजी द्वारा दिनांक 31.03.2021 के आदेश के तहत पैमाईश करने का आदेश हल्का पटवारी पर जारी किया। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 08.04.2021 को हल्का पटवारी पैमाईश हेतु मौके पर आये, परन्तु अप्रार्थीगण ने पैमाईश नहीं करने दिया। इस कारण वादग्रस्त माठ का सीमाकंन कार्य सम्भव नही हुआ। इसलिये विवाद को खत्म करने के लिये स्थाई सीमा चिन्ह कायम किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी की सीमा को लेकर मौके पर भारी विवाद है।अप्रार्थी संख्या 1 से 5 माठ का विवाद बनाकर हमारी आराजी पर कब्जा करना चाहते है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के बीच उक्त आराजीयान के सीमाज्ञान करवा कर वास्तविक व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर उस स्थाई तौर पर स्थाई पत्थर गड्ढी करवाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा जालेरा खूर्द तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1308 रकबा 1.27हे., खसरा नम्बर 1309 रकबा 1.11हे., जुमले2.38हे., व प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1307 रकबा 3.30हे., व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 1315 रकबा 1.62हे., व खसरा नम्बर 1387/1315 रकबा 0.80हे., व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 1312 रकबा 0.05 हे., खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.01 हे., खसरा नम्बर 1314 रकबा 0.06हे., खसरा नम्बर 1388/1315 रकबा 0.02 जुमले रकबा 0.14 हे., की पैमाईस करवा कर माठ पर स्थाई सीमा चिन्ह् पत्थर गड्ढी करने हेतु कमेटी गठित कर स्थाई पत्थर गड्ढी करवाने हेतु तहसीलदारजी रानीवाडा पर न्याय हित में आदेश फरमावे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की आराजी के बीच पूरानी माठ कायम हैं तथा मौके पर स्थाई सीमा होने से सीमा का विवाद होने का प्रार्थीगण का कथन गलत एवं झूठा है। हल्का पटवारी द्वारा सीमाकंन से पूर्व जवाब देहन्दा को कोई नोटिस नहीं [illegible] नहीं जवाब देहन्दा को मौके पर बुलाया। हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की पीठ [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

पिछे उक्त मौका फर्द गलत तथ्यों के आधार पर मुर्तिब की हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। प्रार्थीगण के पास प्रकरण हाजा को संस्थित करने हेतु अन्य कोई आधार होते तो वे अपने प्रार्थना पत्र में उसका उल्लेख अवश्य करते। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है।

3. अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश नहीं कर बहस की गई। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सूनी गई। बहस में प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब के कथनों को दोहराया गया। राजपेरोकार द्वारा बहस में बताया कि खसरा नम्बर 1307, 1308, 1309 के पडौसी खातेदार किशोरसिंह पुत्र तगसिंह वगैरा ने स्वयं की खातेदारी में से जरीब चलाने का मना किया। इस कारण से विवादग्रस्त माठ का सीमाकंन कार्य नहीं किया गया।

4. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व उभयपक्ष अधिवक्ता व राजपेरोकार के जवाब व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 08.04.2021 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा राजपेरोकार ने बहस में विवाद होना स्वीकार किया गया। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी मौके पर विवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 1307 ,1308, 1309, 1315, 1387/1315, 1312, 1313, 1314 व 1388/1315 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा जालेरा खुर्द पटवारी मण्डल जालेरा खुर्द के खसरा नम्बर 1307 ,1308, 1309, 1315, 1387/1315, 1312, 1313, 1314 व 1388/1315 रकबा क्रमश 3.30, 1.27, 1.11, 1.62, 0.80, 0.05, 0.01, 0.06, 0.02 हैक्टेयर के आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर